राजस्थान ग्राम सेवक संघ का विधान
(वर्ष 1989 तक संशोधित)

विधान - नियम

1- संस्था का नाम : इस संस्था का नाम : राजस्थान ग्राम सेवक संघ होगा ।

2- मुख्यालय : इस संस्था का मुख्य कार्यालय जयपुर में रहेगा ।

3- कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण राजस्थान ही इस संघ का कार्य क्षेत्र होगा ।
कार्य क्षेत्र निम्न स्तर पर गठित होगा (यानी कार्यालय)
(1) केन्द्रीय स्तर (जयपुर में) (2) जिला स्तर - राजस्थान के समस्त जिलों के मुख्यालय पर (3) पंचायत समिति स्तरीय (राजस्थान की समस्त पंचायत समिति मुख्यालयों पर (4) प्रशिक्षण केन्द्र स्तीरय - ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्रों पर, आवश्यकता होने पर ही ।
नोट : कार्य क्षेत्र का तात्पर्य संघ की गतिविधियों के संचालनार्थ विधिवत गठित - इकाईयां, शाखों के कार्यक्षेत्र ।

4- उद्देश्य : (1) विधी द्वारा निर्मित हमारी सरकार की ग्राम कल्याण-कारी समस्त योजनाओं। कार्यों में हर सम्भव सहयोग देना ।
(2) हमारे राज्य। देश को खुशहाल करने वाली उत्पादन। विकास आदि योजनाओं को क्रियान्वित करने में ग्रामसेवक वर्ग (ग्राम सेवक पदेन पंचायत सचिव) का किस प्रकार से सर्वोत्तम योगदान। उपयोग हो सकता है, के लिए ऐसे उपाय ढूंढना, सुझाव देना, योजना हाथ में लेना एवं वर्ग को समय समय पर मार्गदर्शन। प्रेरित करना । (3) कृषक सहित सभी ग्रामीण वर्गों की कृषि। श्रम। शिक्षा। आर्थिक समस्याओं से राज्य तथा केन्द्र सरकार को अवगत कराना एवं समाधान प्रदान कर कृषकों। ग्रामीणों तक पहुंचाना । (4) ग्राम सेवक वर्ग (ग्राम सेवक पदेन पंचायत सचिव) की आर्थिक, सामाजिक शैक्षणिक, नैतिक एवं बौद्धिक वृद्धि के लिए राज्य सरकार को सहयोग प्राप्त करना । कार्यक्रम हाथ में लेना एवं कर्तव्यों तथा तत्सम्बन्धी अधिकारों को निभाने में दक्ष बनाना । देश। प्रदेश हितार्थ समर्पित भाव जागृत करना ।

-2---

(5) ग्राम सेवक वर्ग में परस्पर पोषण, सम्मान, सहयोग
सुविधा एवं भ्रातृत्व भाव जगाने हेतु प्रयत्न करना । (6)
अन्य सभी ऐसे कार्यक्रम विधिवत हाथ में लेना जिनको कि
उक्त उद्देश्यों की पूर्ति एवं वर्ग के हितार्थ लेना आवश्यक हो
तथा जिनके लिए केन्द्रीय कार्यकारिणी निर्णय लेवे। करें ।

5- सिद्धान्त : पूर्णत राष्ट्रीय, रचनात्मक, अराजनैतिक, असाम्प्रदायिक,
अहिंसक, सेवाभावी ।

6- सदस्यता : (1) प्रत्येक ग्राम सेवक (ग्राम सेवक पदेन पंचायत सचिव)
(राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी पदनाम स्वीकृत
किया जावे) जो प्रदेश की (कार्यक्षेत्र) किसी भी पंचायत
समिति क्षेत्र में। विभाग आदि में प्रतिनियुक्ति पर, प्रशिक्षण
केन्द्र में कार्यरत हो (प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो) कार्यरत हो
2) रूपये प्रवेश शुल्क एवं (3) रूपये प्रति माह शुल्क
स्थान की इकाई (शाखा) पंचायत समिति, जिला। केन्द्र)
पर जमा कराकर एवं निर्धारित सदस्य का आवेदन पत्र पेश
करके, विधान। नियमों की पालना करने की प्रतिज्ञा एवं
अनुशासनबद्धता को स्वीकार करे, संघ की सदस्यता का पात्र
होगा । (2) ऐसा ग्राम सेवक (जो भी पदनाम हो) जो
सेवा से पदोन्नत। सेवा निवृत्त हो गया हो सदस्य रह सकेगा ।
(3) राज्य के ग्राम सेवक संवर्ग से सम्बन्धित पंचायत एवं
ग्रामीण विकास से सम्बन्धित । शासन सचिव। विकास आयुक्त।
निदेशक। उच्च अधिकारी जिन्हें संघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी
(प्रदेश स्तर) अनुरोध करें - सम्मानीय सदस्य। संरक्षक पद के
पात्र होंगे । (4) सदस्यता पंजीयन रजिस्टर प्रदेश। जिला।
पंचायत समिति स्तर पर (साधारणार्थ) रखा जायेगा ।

संशोधित नोट

7- सदस्यता निवृति : (क) (1) केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा उचित
कारणों के अधीन सदस्यता से पृथक कर दिया जावे ।
(2) त्याग पत्र (सदस्यता से) देने। स्वीकार कर लिया जावे ।
(3) भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अन्तिम रूप से दोषी
करार दे दिया जावे । (4) संघ की सदस्यता के लिए मासिक
शुल्क, अन्य देय। मांग की राशि का भुगतान करने में असमर्थ

महामंत्री

----3--

रहने। संघ के विधानान्तर्गत 30 दिन की सूचना (नोटिस अन्तिम रूप से) प्राप्त होने पर देय राशि जमा कराने में असमर्थ रहने पर सदस्यता से स्वत: ही निवृति हो जावेगी।

(ख) सदस्यता निवृति की उपधारा (क)(1) की आज्ञा। निर्णय की अपील, संघ के महामन्त्री (केन्द्र) के माध्यम से प्रतिनिधि सभा में निर्णय के 30 दिन के अन्तर्गत की जा सकती है। जिसका निर्णय अन्तिम होगा और प्रतिनिधि सभा के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

8- कोष स्रोत : (1) प्रवेश शुल्क, मासिक शुल्क, या विशेष अर्थ संग्रह से प्राप्त राशि (केवल सदस्यों से) (2) राज्य या केन्द्र सरकार या अन्य मान्य संस्था। अन्य विधि सम्मत स्रोत से प्राप्त अर्थ योग, जो संघ के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक हो (3) प्रकाशन, मुद्रण, विज्ञापन, लेखन आदि अन्य वैध उपायों से प्राप्त राशि।

9- कोष व्यवस्था : (1) संघ कोष की व्यवस्था निम्न प्रकार से होगी (क) प्रवेश शुल्क : प्रत्येक सदस्य से प्राप्त प्रवेश शुल्क (2) रुपये केन्द्रीय कोष में जमा होगी। (ख) मासिक शुल्क का वितरण। हिस्सा : प्रत्येक सदस्य से प्राप्त मासिक शुल्क 3) रुपये प्रतिमाह (जो वर्ष में 36) रुपये होगी) में से 0-30 पैसे पंचायत समिति शाखा को। (1-20) पैसे जिला शाखा को। (1-50) पैसा केन्द्रीय कोष में, जमा होगा। यानी पंचायत समिति शाखा को 10 प्रतिशत एवं जिला शाखा को 40 प्रतिशत और केन्द्रीय कोष को 50 प्रतिशत प्राप्त होगा। मासिक शुल्क प्रत्येक वर्ष जनवरी से दिसम्बर के लिए देय होगा। (ग) धारा 8 की उपधारा 2,3 के अन्तर्गत प्राप्त राशि केन्द्रीय कोष का भाग होगी।

(2) संघ कोष राशि प्राप्त करना : (1) धारा 8 की उपधारा (1) से सम्बन्धित राशि सदस्यों से सम्बन्धित --

~~संघ~~ पंचायत समिति शाखा प्राप्त कर रोकड़ में जमा करेगी और धारा 9(1) क,ख,ग की पालनार्थ जिला शाखा कोष में राशि प्राप्ति दिनांक से 15 दिन में जमा करा देगी ।

(2) जिला शाखा : जिले की पंचायत समितियों से प्राप्त राशि में से धारा 9(1) ख के प्रावधानानुसार अपने हिस्से की राशि कम करके, शेष राशि जो केन्द्रीय कोष का भाग हिस्सा है (50 प्रतिशत) एक माह में केन्द्रीय कार्यालय। कोष में जमा करा देगी । संघ कोष की राशि प्राप्त करने की एवं सभी स्तरीय शाखाओं में वितरण आदि की व्यवस्था केन्द्रीय कार्यकारिणी (प्रदेश) का निर्णय। आज्ञानुसार की जावेगी ।

(3) कोष की राशि : पंचायत समिति। जिला। प्रदेश स्तरीय कोषाध्यक्ष ही प्राप्त करने को सक्षम होंगे। विशेष परिस्थितियों में केन्द्रीय कार्यकारिणी की आज्ञान्तर्गत राशि प्राप्त करने को किसी पदाधिकारी को भी अधिकृत किया ~~जावेगा।~~ जासकेगा।

(4) (1) संघ कोष की राशि किसी अनुसूचित बैंक। डाकघर में पंचायत समिति। जिला। प्रदेश, की कार्यकारिणी के निर्णयानुसार, खाता में जमा रहेगी । (2) संघ कोष (रोकड़ में) जमा। प्राप्त राशि में से पंचायत समिति। जिला। केन्द्र स्तरीय कोषाध्यक्ष क्रमश: 50) रुपये, 100) रुपये एवं 500) रुपये नगद अपने पास बैलेन्स रख सकेंगे । (3) अनुसूचित बैंक। डाकघर बचत खाते में राशि वापसी। निकालने हेतु, पंचायत समिति के अध्यक्ष एवं मंत्री कम कोषाध्यक्ष (संयुक्त) सक्षम होंगे जिला स्तर पर - जिला मंत्री एवं जिला कोषाध्यक्ष सक्षम होंगे । प्रदेश स्तर पर - महामन्त्री एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष सक्षम होंगे ।

(5) कोष राशि का उपयोग : विधान के उद्देश्यों। कार्यों। सदस्यों के हितार्थ ही संघ कोष राशि का उपयोग किया जावेगा । कोष की सुरक्षार्थ प्रदेश स्तर पर अध्यक्ष। महामन्त्री कोषाधिकारी उत्तरदायी होंगे । संघ की सभी इकाईयों के कोष पर नियन्त्रण के लिए भी उत्तरदायी होंगे । --5-

10- कार्यकारिणी : इस संस्था (संघ) की कार्यकारिणी विधान की धारा 3 के अनुसार निम्न प्रकार से होगी । (क) राज्य स्तर पर - निर्वाचित कार्यकारिणी का गठन - 32 सदस्यों की (प्रत्येक जिले से एक प्रतिनिधि केन्द्रीय कार्यकारिणी में रहेगा) (1) अध्यक्ष - 1 (2) उपाध्यक्ष - 1 (3) महामन्त्री - 1 (4) मंत्री - 1 (5) संयुक्त मन्त्री - 1 (6) कोषाध्यक्ष - 1 (7) क्षेत्रीय मंत्री 6 (प्रत्येक डिवीजनानुसार एक (8) सदस्य- 20 राज्य स्तर पर मनोनीत : संस्था के मुख पत्र का सम्पादक मंडल एवं लेखा आडिट समिति का मनोनयन केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा किया जावे ।

(ख) जिला स्तर पर कार्यकारिणी : जिले की प्रत्येक पंचायत समिति से एक प्रतिनिधि जिला कार्यकारिणी में होगा) (1) जिलाध्यक्ष - एक (2) उपाध्यक्ष - एक (3) जिलामंत्री एक (4) संयुक्त मन्त्री - एक (5) कोषाध्यक्ष - एक (6) सदस्य शेष रही पंचायत समितियों के सभी प्रतिनिधि ।

(ग) पंचायत समिति स्तर पर एवं प्रशिक्षण केन्द्र पर निर्वाचित कार्यकारिणी : (1) अध्यक्ष - एक (2) मंत्री कम कोषाध्यक्ष - एक (आवश्यकतानुसार कोषाध्यक्ष पद अलग भी रह सकेगा । (3) सदस्य - तीन

11- कार्यकारिणी का कार्यकाल एवं निर्वाचन : (1) प्रदेश। जिला। पंचायत समिति स्तरीय कार्यकारिणी का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा । प्रशिक्षण केन्द्र की शाखा कार्यकारिणी का कार्यकाल प्रशिक्षण अवधि का रहेगा । (2) कार्यकाल में वृद्धि - प्रत्येक कार्यकारिणी के 3 वर्षों के कार्यकाल में पंचायत समिति एवं जिला स्तरीय कार्यकारिणी के कार्यकाल में विषम परिस्थितियों में केन्द्रीय कार्यकारिणी 6 माह की अवधि की वृद्धि करने में सक्षम होगी और केन्द्रीय कार्यकारिणी के कार्यकाल को 6 माह और वृद्धि करने हेतु प्रतिनिधि सभा सक्षम होगी । (3) निर्वाचन (क) पंचायत समिति स्तरीय कार्यकारिणी का निर्वाचन कार्यकाल समाप्ति के 1 माह पूर्व कराये जाने की व्यवस्था केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा की जावेगी । प्रशिक्षण केन्द्र शाखा का निर्वाचन महामन्त्री करायेगा ।

--6--

(ख) पंचायत समिति शाखा कार्यकारिणी के निर्वाचन के तत्काल पश्चात् जिलाशाखा कार्यकारिणी का निर्वाचन केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा कराया जावेगा । (ग) केन्द्रीय कार्यकारिणी का निर्वाचन प्रतिनिधि सभा - जिला कार्यकारिणी के निर्वाचन के तत्काल पश्चात् कराने का निर्णय कर निर्वाचन करायेगी ।

(2) मतदाता - पंचायत समिति शाखा कार्यकारिणी का निर्वाचन सम्बन्धित पंचायत समिति शाखा के समस्त वैध सदस्यों (ग्राम सेवक पदेन सचिवों) द्वारा एवं जिला शाखा कार्यकारिणी का निर्वाचन जिले की पंचायत समिति शाखा कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं मंत्री द्वारा एवं केन्द्रीय कार्यकारिणी का निर्वाचन प्रदेश के समस्त जिलों की कार्यकारिणी के जिलाध्यक्ष एवं जिलामन्त्री द्वारा किया जावेगा । (क) जिला कार्यकारिणी हेतु जिले की प्रत्येक पंचायत समिति से एक सदस्य का निर्वाचन एवं केन्द्रीय कार्यकारिणी हेतु प्रदेश के समस्त जिलों से एक-एक प्रतिनिधि सदस्य का निर्वाचन, सम्बन्धित मतदाताओं द्वारा किया जावेगा । यानी जिला केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य। पदाधिकारी का सीधा निर्वाचन, मतदाता द्वारा किया जावेगा। सभी स्तरीय कार्यकारिणियों का निर्वाचन यथा सम्भव सर्व-सम्मति से किया जावेगा ।

(3) कोई सदस्य एक साथ एक समय में एक पद पर ही निर्वाचित होकर काम करेगा । उक्त स्थान पर निर्वाचित होने पर पूर्व स्थान शून्य स्वतः ही रिक्त हो जावेगा । रिक्त स्थान की पूर्ति केन्द्रीय/जिला कार्यकारिणी के निर्णयानुसार रिक्त दिनांक से 3 माह में कराई जावेगी ।

12- कार्यकारिणियों के उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य :

(1) विधिवत रिक्त स्थानों की पूर्ति धारा 11(3) अनुसार कराना ।

(2) कार्यकारिणी के सामान्य कार्य (3) संस्था (संघ) के विधान के अन्तर्गत सदस्यों के हितार्थ एवं उद्देश्यों हेतु कार्य करना ।

उक्त दायित्वों एवं कर्तव्यों के लिए निम्न प्रकार से केन्द्र/जिला पंचायत समिति स्तरीय कार्यकारिणी कार्य करेगी :

---7--

केन्द्रीय कार्यकारिणी (प्रदेश) :

(1) संस्था के विधान के अन्तर्गत धारा 4,5,6,7,8,9,10, 11 की क्रियान्विति हेतु कार्य करना । (2) संघ के प्रति उत्तरदायी होना (3) संघ के सम्मेलन।प्रतिनिधि सभा की बैठक आयोजित करना एवं इनके निर्णयों।प्रस्तावों की क्रियान्वित करना ।(4) सामान्यतया संघ के और उनकी शाखाओं के संचालन व कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होना। (5) संघ कोष की सुरक्षा एवं आडिट एवं वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार करना और सम्मेलन।प्रान्तीय सम्मेलन में प्रस्तुत करना और अनुमोदन प्राप्त करना । (6) आवश्यक उप समितियाँ और उपनियमों में संशोधन कर उनका प्रतिनिधि सभा-। सम्मेलनों में अनुमोदन प्राप्त करना (7) आवश्यक उप समितियों और उपनियमों का गठन।निर्माण करना ।(8) आवश्यक धन संग्रह करना तथा सदाम स्वीकृति प्राप्त करना (9) बजट बनाना और कोष पर नियन्त्रण रखना ।(10 जिला।पंचायत समिति शाखा आदि पर नियन्त्रण।मार्गदर्शन करना (11) महामन्त्री द्वारा स्वीकृत सदस्यताओं को अनुमोदित करना (12) संघ के उद्देश्यों।कार्यों की पूर्ति के निमित्त किसी सदस्य) अथवा संघ की इकाई के विरुद्ध संघ की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने। विधान। नियमों। निर्णय निर्देशों के विपरीत कार्य करने आदि की शिकायत प्राप्त होने पर हो और जांच करने के पश्चात् शिकायत सही पाई जाने पर उस व्यक्ति।सदस्य। पदाधिकारी अथवा इकाई (शाखा) को निलम्बित अथवा पद से हटाने।सदस्यता से पृथक करने का अधिकार होगा जिसकी अपील प्रतिनिधि सभा में की जावेगी । जिसका निर्णय अन्तिम होगा । (13) ईकाईयों को मान्यता देना व उनके कार्य संचालन नियम स्वीकृत करना (14) कर्मचारियों आदि वैधानिक।न्याय के अन्तर्गत गठित संघ।महासंघों से सम्बद्धता। सहयोग।भाईचारा हेतु कार्य करना !

12-(1) जिला स्तरीय कार्यकारिणी के उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य :

(1) संघ के विधान।नियम।उपनियमों की पालनार्थ कार्य करना

---8--

§2§ केन्द्रीय कार्यकारिणी/नेतृत्व के अधीन/मार्गदर्शन की पालना करना/उत्तरदायी रहना। §3§ जिले की पंचायत समिति शाखाओं की कार्यकारिणी पर नियंत्रण एवं मार्गदर्शन और केन्द्रीय व अपने निर्णयों/निर्देशों की क्रियान्विति करना एवं समन्वय करना। §4§ जिले में कार्यरत संघ सदस्यों की सामूहिक/व्यक्तिगत समस्याओं के लिए कार्य करना। §5§ जिला सम्मेलनों/गोष्ठियों का आयोजन करना और निर्णयों की क्रियान्विति करना/ कराना। §6§ संघ कोष वसूली एवं केन्द्रीय कोष में जमा कराना व सुव्यवस्था रखना। §7§ पंचायत समिति/जिला कोष के वार्षिक लेखों की आडिट व्यवस्था करना और केन्द्रीय कार्यकारिणी को आडिट एवं कोष प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष के फरवरी माह तक पेश करना। §8§ अन्य संघ विधानानुसार एवं सदस्य हितार्थ कार्य करना। §9§ प्रदेश मंत्रीमंडल/क्षेत्रिय मंत्रियों के निर्देशन में काम करना।

12-§2§ पंचायत समिति स्तरीय कार्यकारिणी के उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य :-

§1§ संघ के विधान/नियम/उपनियमों के अन्तर्गत कार्य करना और सदस्यों से पालना करना। §2§ केन्द्रीय/जिला कार्यकारिणी पदाधिकारियों के निर्णयों/निर्देशों एवं मार्गदर्शन की पालना करना। §3§ संघ कोष राशि सदस्यों से प्राप्त करके विधान प्रावधान अनुसार जिला/केन्द्र कोष में जमा कराना एवं विशेष निर्देशों/ निर्णयों की अन्तर्गत अर्धसंग्रह करना और कोष में जमा करना। §4§ सदस्यों की सामूहिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना व सदस्यों के हितों की सुरक्षा करना। §5§ विकास कार्यों एवं क्षेत्रीय योजनाओं आदि हेतु संघ सदस्यों को प्रेरित कर जन हितार्थ तैयार रहना और कार्य करना। §6§ जिला शाखा के माध्यम से केन्द्र एवं क्षेत्रियों मंत्रीयों से सम्पर्क/समन्वय करना। §7§ केन्द्र/जिला स्तरीय सम्मेलनों/ कार्य क्रमों को सफल बनाने हेतु उत्तरदायी रहना।

...9...

12§3§ बैठक एवं गणपूर्ति :

§1§ केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक 3 माह में एवं जिला एवं पंचायत समिति कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक 2 माह में आवश्यक रूप से आयोजित की जावेगी । विशेषबैठकें कार्यकारिणी के 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर अध्यक्ष 15 दिन में आवश्यक रूप से बुलायेगा §2§ साधारणतया कार्यकारिणी की बैठक 15 दिन की पूर्व सूचना पर अध्यक्ष की सहमति से केन्द्र में महामंत्री जिला एवं पंचायत समिति शाखा के मंत्री बुलायेंगे । विशेष बैठक 7 दिन के नोटिस पर बुलाई जा सकेगी । §3§ केन्द्र/जिला/पंचायत समिति स्तरीय स्तरीय कार्यकारिणी की गणपूर्ति कार्यकारिणी के 1/3 सदस्यों की संख्या पर होगी । स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

12§4§ प्रतिनिधि सभा का गठन(केन्द्र स्तर पर)

प्रदेश के जिले के अध्यक्ष एवं मंत्री प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि सभा के वैध सदस्य होंगे । यह संस्था की सर्वोच्च इकाई होगी । इसकी बैठकें प्रत्येक 6मास में, महामंत्री संस्था के प्रदेशाध्यक्ष की सहमति से 20 दिन की पूर्व सूचना पर बुलायेगा । विशेष बैठक प्रतिनिधि सभा के 1/3 सदस्यों के लिखित आवेदन पर अध्यक्ष के निर्देशानुसार महामंत्री आवश्यकरूप से बुलायेगा ।

प्रतिनिधि सभा एवं केन्द्रीय कार्यकारिणी संस्था की वैधानिक उच्च सदन होगा । इसके निर्णय संघ के प्रत्येक स्तरीय कार्यकारिणी/सदस्यों को मान्य होंगे और क्रियान्विति में आवश्यक भागीदारी होगी । केन्द्र/जिला/पंचायत समिति इकाईयां इसके निर्णयों/निर्देशों/आज्ञाओं की पालनार्थ बाध्य होंगी । इसकी बैठकों के लिए 1/3 सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होगी ।

13- पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :

§1§ अध्यक्ष :-§1§ कार्यकारिणी/प्रतिनिधि सभा तथा संघ/§प्रदेश इकाई§ इकाई के अधिवेशनों/सम्मेलन-बैठकों की अध्यक्षता करना एवं संचालन/समन्वय करना §2§ बैठकें बुलाने हेतु क्रमशः महामंत्री, जिला/पंचायत समिति मंत्रियों को अनुमति देना। §3§ संघ की समस्त गतिविधियों के लिए अनुशासक एवं उत्तरदायी होना। §4§ किसी विवादग्रस्त विषय पर निर्णायक मत देना। §5§ महामंत्री की सलाह से सामयिक निर्देश प्रसारित करना। §6§ सभी इतरथी पदाधिकारियों/इकाईयों में समन्वय/एकतार्थ महामंत्री के सहयोग से व्यवस्था करना एवं निर्देशित करना।

§2§ उपाध्यक्ष : (सभी शाखा§ - अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के अधिकारों का उपयोग एवं कर्तव्यों को निभायेगा।

§3§ महामंत्री§प्रदेश/जिला मंत्री/पंचायत समिति शाखा मंत्री §सामूहिक रूप में§

§1§ अध्यक्ष की अनुमति से सभी प्रकार की बैठकें बुलाना और उनका संयोजन करना। §2§ सभी प्रकार की बैठकों का विवरण लेखबद्ध करना और जारी करना और अगली बैठकों में पढ़कर सुनाकर अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त करना। §3§ सभी प्रकार की बैठकों के प्रस्तावों/निर्णयों को क्रियान्वित करना/कराना आदि कार्य करना। §4§ संस्था की संबंधित शाखा कार्यालय का संचालन/नियंत्रण एवं अपनी अभिरक्षा में रिकार्ड/सामग्री रखना/सुरक्षा करना आदि कार्य करना। §5§ अपने अधीन पदाधिकारियों से कार्य लेना/सहयोग लेना समन्वय एवं संघ हितार्थ प्रेरित करना। §6§ संस्था की इकाई के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के उत्तरदायित्वों/कर्तव्यों की पालना करना।

अध्यक्ष ..... महामंत्री .....

(7) संघ विधान/उपनियमों के समस्त प्रावधानों का ध्यान रखना/पालना करना और कराना । (8) संघ कोष से अपने एवं इकाई पदाधिकारियों के कार्यों/यात्राओं एवं कार्यालय व्यय राशि/वाउचरों का प्रमाणीकरण एवं भुगतान स्वीकृति देना । संघ कार्यों पर न्यायसंगत एवं वास्तविक व्यय/भुगतान व्यवस्था करना एवं मार्गदर्शक/नियंत्रक के रूप में कार्य करना (9) सभी प्रकार की बैठकों में संघ हितार्थ एवं सदस्यों के हितार्थ एवं शासन की नीतियों/कार्यक्रमों/योजनाओं की क्रियान्विति एवं सुधार आदि प्रस्ताव/सुझाव/प्रतिवेदन पेश करना/संघ की रीति-नीति हेतु प्रस्ताव पेशकर बैठकों में स्वीकृत कराना (10) राज्य/जिला/पंचायत समिति स्तरीय अधिकारियों से अपनी इकाई के निर्णयों एवं सदस्यों के हितार्थ पत्राचार/सम्पर्क करना । (11) प्रतिनिधि सभा/केन्द्र/जिला/पंचायत समिति बैठकों में विशेष सौंपे गये/अधिकृत उत्तरदायित्वों/कर्तव्यों की पालना करना और अपने अधीन पदाधिकारियों/इकाईयों से क्रियान्वित कराना ।

उक्त अधिकार एवं कर्तव्यों की क्रियान्विति हेतु केन्द्र/जिला/पंचायत समिति हेतु निम्न प्रकार से पदाधिकारि उत्तरदायी होंगे।

(1) <u>महामंत्री (केन्द्र) : विधान की धारा (13)(3)</u>

(1) के अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रावधान । से ।। के लिए संस्था के प्रमुख कार्यकारिणी पदाधिकारी होगा (2) केन्द्रीय कार्यकारिणी के मंत्री/संयुक्त मंत्री/क्षेत्रीय मंत्रियों में समन्वय एवं अनुशासन रखने एवं संघ के विधान/नियमों की पालना एवं केन्द्रीय निर्णयों/निर्देशों की क्रियान्विति हेतु मार्गदर्शक/नियंत्रक कार्य करेगा। कार्य लेगा ।

(3) मंत्री एवं संयुक्त मंत्री को अधिकार एवं कर्तव्य अपने विवेक एवं (प्रतिनिधि सभा/केन्द्रीय कार्यकारिणी के निर्णयों एवं अध्यक्ष (प्रदेश) से सलाह कर सुनिश्चित करेगा । कार्यों का विभाजन कर उन्हें उत्तरदायी बनायेगा (4) संस्था के नये सदस्यों की सदस्यता स्वीकार करेगा और कार्यकारिणी से अनुमोदन करायेगा ।

(5) संगठन हित में सभी वैध/उचित कार्य स्वविवेक से आवश्यकता/आपतकाल समय में निर्णय लेने/जिला/पंचायत समिति शाखाओं एवं संघ के समस्त सदस्यों को मार्गदर्शन देने/आह्वान करने/आदि

महामंत्री

कार्यवाही करने में सक्षम होगा । इसका अनुमोदन कार्यकारिणी/ प्रतिनिधि सभा ऐसी स्थिति हो प्राप्त करेगा । कर्मचारी संगठनों/अखिल भारत स्तरीय कर्मचारी संगठनों से समन्वय/ प्रतिनिधित्व हेतु उत्तरदायी होगा । §6§ प्रदेश कार्यालय एवं संस्था कार्यों हेतु संगठन कोष से अग्रिम प्राप्त करके 1000/-एक हजार रुपये व्यय कर सकेगा । जिसका अनुमोदन केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक में प्राप्त करना होगा । अधिकृत सीमा से अधिक व्यय होने की सम्भावना/आवश्यकता होने पर प्रदेशाध्यक्ष की अनुमति से संघ कोष से राशि प्राप्त कर व्यय की जा सकेगी । जिसकी स्वीकृति अगली कार्यकारिणी बैठक से ली जावेगी । §7§ सहयोगी पदाधिकारियों का मनोनयन/नियुक्ति करने को सक्षम होगा ।§8

§2§ मंत्री एवं संयुक्तमंत्री §प्रदेश§ के अधिकार एवं कर्तव्य :

§1§ केन्द्रीय कार्यकारिणी एवं महामंत्री द्वारा सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करना एवं इनके प्रति उत्तरदायी होना ।
§2§ महामंत्री की अनुपस्थिति में उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों का उपयोग मंत्री करेगा । §3§ संयुक्त मंत्री, महामंत्री के कार्यों में सहयोग करेगा ।

§3§ जिला मन्त्री :

§1§ जिलाध्यक्ष की अनुमति एवं सलाह से बैठकें बुलाना । संयोजन एवं विधान की धारा 13§3§ में वर्णित प्रावधान नुसार कार्य करना। एवं उत्तरदायी होगा। §2§ महामंत्री के एवं केन्द्रीय कार्यकारिणी एवं प्रतिनिधि सभा के निर्णयों/निर्देशों की क्रियान्वित करना/कराना और इनके प्रति उत्तरदायी होना । §3§ जिला कोष से अधिकृत 250/-रुपये व्यय करना और हिसाब की जिला कार्यकारिणी से स्वीकृति प्राप्त करना जिला कोष से भुगतान एवं प्रमाणीकरण हेतु उत्तरदायी होना । §4§ जिले की पंचायत समिति शाखाओं पर नियंत्रण/मार्गदर्शन एवं समन्वय रखने के लिए उत्तरदायी । §5§ संस्था के विधान/नियमों/केन्द्रीय निर्देशों के अनुपालन कार्य करना । §6§ जिला रिकार्ड को अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखना ।

प्रदेशाध्यक्ष — महामंत्री

..13..

(4) पंचायत समिति इकाई मंत्री :

(1) जिला इकाई के नियंत्रण एवं केन्द्रीय निर्देशों/निर्णयों की पालना करना/कराना । (2) पंचायत समिति स्तरीय संगठनात्मक समस्त गतिविधियों का संचालन करना । (3) संघ के विधान 13(3) के अधिकारों एवं कर्तव्यों की क्रियान्विति के निर्देशों की पालना करने हेतु कार्यकारी पदाधिकारी की भांति काम करना । (4) पंचायत समिति कोष संग्रह एवं रिकार्ड तैयार कर अपने पास रखना और कोषाध्यक्ष के समस्त कृत्यों को करना ।

(5) द्वितीय मंत्री (संगठन) : (Six होते हैं)

(1) डिविजन क्षेत्र की सभी जिला/पंचायत समिति शाखाओं की संगठनात्मक गतिविधियों को संचालित/संयमित और संशोधित करने के लिए उत्तरदायी होंगे । उनके कर्तव्यों में प्रचार कार्य भी सम्मिलित हैं (2) अपने सहायकों को निर्देशित करना ।

(3) संगठनात्मक विवादों को सुलझाने का प्रयत्न करेंगे ।

(4) महामंत्री एवं केन्द्रीय कार्यकारिणी एवं प्रतिनिधि सभा के निर्णयों/निर्देशों की क्रियान्विति हेतु उत्तरदायी होंगे ।

(5) डिवीजन की सभी इकाईयों के प्रभारी होंगे एवं केन्द्रीय नेतृत्व एवं संघ के प्रतिनिधि एवं प्रभारी कार्यकारी पदाधिकारी के अनुरूप संगठन के समस्त कार्य करेंगे ।

(6) कोषाध्यक्ष (सभी स्तरीय) :

(1) आय-व्यय का हिसाब रखेंगे और हिसाब को केन्द्रीय/जिला एवं पंचायत समिति की कार्यकारिणी एवं प्रतिनिधि सभा और संघ के अधिवेशनों में प्रस्तुत करेंगे और आडिट कराके - आडिट प्रतिवेदन-बैलेन्स शीट सहित पेश करेंगे । (2) वार्षिक बजट तैयार करके केन्द्रीय कार्यकारिणी एवं अधिवेशन में स्वीकृति/पुष्टि हेतु पेश करेंगे । और बजट के अनुसार व्यय करेंगे । (3) 500/- रुपयों के अतिरिक्त प्राप्त/बैलेन्स रकम को महामंत्री/जिला/पंचायत समिति के मंत्री एवं स्वयं के नाम से निर्णयानुसार किसी अनुसूचित बैंक/या डाकघर में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा रखेंगे (4) केन्द्रीय कोषाध्यक्ष जिला शाखाओं एवं जिला कोषाध्यक्ष पंचायत समिति शाखाओं के हिसाब की जांच-आडिट एवं नियंत्रण रखेंगे ।

(5) संघ की आय बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रयास करेंगे (6) 1000/- रूपये तक महामंत्री को एवं 300/-तीन सौ रूपये क्षेत्रिय मंत्रियों को केन्द्रीय संघ कोष से अग्रिम दे सकेंगे और हिसाब प्राप्त कर समायोजन करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इससे अधिक राशि के लिए ~~केन्द्रीय~~ कार्यकारिणी निर्णयानुसार अग्रिम राशि सभी पदाधिकारियों को दे सकेंगे। भुगतान से पूर्व महामंत्री/जिलामंत्री/पंचायत समिति शाखा मंत्री से भुगतान आदेश प्राप्त करेंगे। (7) रोकड़-वाउचर-रसीद बुकें-लेजर-आडिट रिपोर्ट आदि ~~व~~ हिसाब का रिकार्ड अपनी अभिरक्षा में केन्द्रीय कार्यालय में या महामंत्री के निर्देशानुसार अपने पास सुरक्षित रखने हेतु रिकार्ड का संधारण करने हेतु उत्तरदायी होंगे। (8) किसी संस्था/व्यक्ति से अमानत राशि/चन्दा एकत्र करने हेतु विधान/नियमों/केन्द्रीय कार्यकारिणी के निर्णयानुसार उत्तरदायी होंगे। (9) रोकड़ बही कार्यकारिणी की बैठक के समय अध्यक्ष ~~अध्यक्ष~~ से सत्यापित करावेंगे। यही व्यवस्था समानरूप से जिला / पंचायत समिति को व्यवस्था करेंगे।

(7) सदस्य कार्यकारिणी (समस्त स्तरीय) :

(1) केन्द्रीय/जिला/पंचायत समिति शाखा की कार्यकारिणी की बैठकों/अधिवेशन में उपस्थित होकर विचार-विमर्श में भाग लेकर निर्णय लेंगे। (2) कार्यकारिणी/प्रतिनिधि सभा/अधिवेशनों के निर्णयों की क्रियान्विति में योगदान देंगे एवं आवश्यकता होने पर मतदान करेंगे। संघ के विधान/नियमों एवं महामंत्री/जिला/पंचायत समिति मंत्री के निर्देशों के प्रति उत्तरदायी रह-अनुशासित रह कार्य करेंगे।

(14) अधिवेशन और प्रतिनिधि सभा के कार्य :

(1) केन्द्र/जिला/डिवीजन स्तरीय कार्यकारिणी या निर्णयानुसार समय समय पर जिला/प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी के निर्वाचन के समय या पश्चात् संघ की गतिविधियों एवं उद्देश्यों हेतु अधिवेशन 3 वर्ष में एक बार या आवश्यकतानुसार अवश्य आयोजित किये जावेंगे। सभी स्तरीय सम्मेलनों/अधिवेशन में संघ का प्रत्येक सदस्य भाग ले सकेगा/सुझाव दे सकेगी। (2) केन्द्र/जिला स्तरीय प्रतिनिधि सभा का वार्षिक अधिवेशन अवश्य आयोजित किया जावेगा। केन्द्र स्तरीय प्रतिनिधि सभा के अधिवेशन में जिलाध्यक्ष, जिलामंत्री एवं जिला कोषाध्यक्ष, केन्द्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और प्रत्येक पंचायत समिति/शाखा के

अध्यक्ष   महामंत्री

अध्यक्ष/मंत्री प्रतिनिधि (डेलीगेट) की उपस्थिति अनिवार्य होगी। मगर वैधानिक निर्णय-सर्वसम्मति या मतदान द्वारा प्रतिनिधि सभा के सदस्य जिलाध्यक्ष एवं जिला मंत्री एवं केन्द्रीय कार्यकारिणी ही लेने में सक्षम होगी। (3) जिला स्तरीय वार्षिक सम्मेलन में जिला कार्यकारिणी एवं पंचायत समिति शाखा कार्यकारिणी एवं जिला प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के अलावा जिले के समस्त सदस्य ग्राम सेवक पदेन सचिवगण भाग ले सकेंगे। मगर वैधानिक निर्णय जिला प्रतिनिधि सभा के सदस्य ही लेने में सक्षम होंगे।

(4) डिवीजन स्तरीय सम्मेलन में केन्द्रीय कार्यकारिणी एवं जिला कार्यकारिणी एवं जिलों की पंचायत समिति शाखाओं से 5 से 10 प्रतिनिधि भाग ले सकेंगे। (5) अधिवेशन आयोजित करने/नहीं करने का केन्द्रीय कार्यकारिणी/प्रतिनिधि सभा या महामंत्री के प्रस्ताव अनुसार निर्णय लेकर संबंधित को निर्देशित करने को सक्षम होंगे। (6) सभी स्तरीय अधिवेशनों के आयोजनार्थ 30 दिन पूर्व सूचना जारी करना और प्रचार-प्रसार करना आवश्यक होगा।

(7) सभी स्तरीय अधिवेशनों की बैठकों की गणपूर्ति प्रतिनिधि सभा एवं कार्यकारिणी के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 उपस्थिति अनिवार्य होगी।

अधिवेशनों एवं प्रतिनिधि सभा की कार्य सूची :

(1) संघ के उद्देश्यों एवं सदस्यों के हितों की पूर्ति हेतु बैठकों में निर्णय यथासम्भव सर्वसम्मति से लिये जावेंगे। (2) उत्पादन योजनाओं एवं ग्रामों के विकास योजनाओं/समस्याओं के विषयों पर समिति/सुझाव/निर्णय लिये जावेंगे जिन्हें प्रशासन/शासन को महामंत्री/जिला मंत्री पेश करेंगे और क्रियान्विति हेतु प्रयास किये जाने के निर्देश दिये जा सकेंगे। (3) गत वर्ष के कार्य विवरण और आय-व्यय विवरण का अनुमोदन। (4) संघ की केन्द्रीय/जिला, कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार एवं स्वीकृति देना। (5) वार्षिक बजट/आय-व्यय की समीक्षा एवं सुझाव देना। (6) प्रतिनिधि सभा संघ की सर्वोच्च अधिकार युक्त इकाई के अनुरूप कार्य करेगी। जिसके निर्णय ही संस्था के निर्णय होंगे।

महामंत्री

प्रदेश अध्यक्ष